संख्या-14/2017/ 298/35-3-2017-1(101)/2010

प्रेषक,

जय प्रकाश भारती,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2017**

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को आयोजनागत (आवर्तक) अनुदान की चतुर्थ किश्त रू0 11,50,000/- केन्द्रांश के सापेक्ष उपलब्ध् राज्यांश रू0 5,50,000/- (रू0 पॉच लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-632/ले0-91/04, दिनांक 28 मार्च, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफनं0 5-11/2016/ आरआईसी, दिनांक 14.02.2017 द्वारा आयोजनागत (आवर्तक) अनुदान की चतुर्थ किश्त रू0 11,50,000/- (रू0 ग्यारह लाख पचास हजार मात्र) धनराशि अवमुक्त की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनागत मद में संस्थान हेतु प्राविधानित राज्यांश की धनराशि रू0 40,00,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 8,50,000/-, दिनांक 30.9.2016 एवं द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 14,50,000/- दिनांक 12.01.2017 एवं तृतीय किश्त की धनराशि रू0 11,50,000/- शासनादेश संख्या-12/2017/185/35-3-2017-1(101)/2010 दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। वर्तमान में राज्यांश की आयोजनागत (आर्वतक) अनुदान की मद में रू0 5,50,000/- की आय-व्ययक धनराशि अवशेष है। अत: श्री राज्यपाल महोदय आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा उक्त अवमुक्त केन्द्रांश की चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 11,50,000/- (रूपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष राज्यांश के आयोजनागत मद में अवशेष धनराशि रू0 5,50,000/- (रू0 पॉच लाख पचास हजार मात्र) राज्यांश की धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत/अवमुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि तृतीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने एवं शासन की सहमति से ही व्यय किया जायेगा।

2- अनुदान का भुगतान करने के लिए बिल आहरण हेतु गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा एवं उस पर अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- कोषागार से उतनी ही धनराशि समय-समय पर संस्थान द्वारा आहरित की जायेगी, जिसके भुगतान की तात्कालिक आवश्यकता हो, कोषागार से आहरित की जाने वाली धनराशि की आवश्यकता का आंकलन/परीक्षण जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत मद में सस्थान के सम्बन्धित बैंक आदि खातों में उपलब्ध धनराशि के आधार पर करते हुए यथा आवश्यक धनराशि के आहरण हेतु बिल प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

5- उपरोक्त अनुदान का कोई भी भाग ऊपर वर्णित मदों के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। अनुदान की आगामी किश्त की मांग के समय उपर्युक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।

6- इस अनुदान पर राजाज्ञा संख्या-ए-2364/दस-17/2(1)/67, दिनांक 20 जुलाई, 1971 के संलग्नक में निहित अनुदान के नियम लागू होंगें।

7- उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृत अनुदान के लेखे-जोखे पृथक से रखे जायेंगें तथा उनका निरीक्षण, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की इच्छा अनुसार किसी भी समय किया जा सकेगा तथा परीक्षण राज्य सरकार के नियोजन विभाग के अधिकारियों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जब कभी वे चाहेंगें, किया जायेगा।

8- संस्थान को स्वीकृत उक्त अनुदान का उपभोग प्रमाण-पत्र संस्थान द्वारा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, लखनऊ के माध्यम से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत भेजा जायेगा। आगामी किश्त की मांग के समय वित्तीय वर्ष 2015-16 के व्यय के आडिटेड ब्यौरों को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

9- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-228/दस-2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जय प्रकाश भारती)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 14/2017/ 298(1)/35-3-2017, तददिनांकं

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीहेतु पे्षित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर(आडिटर प्लानिंग)कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम, सत्यनिष्ठ भवन,15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ
8- सदस्य सचिव, भारतीय सामाजित विज्ञान अनुसंधान परिषद,पोस्ट बाक्स नं 10580, अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली।
9- निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11- नियोजन अनुभाग-1
12- गार्ड फाइल/स्वीकृत पंजी।

आज्ञा से,

(**जय प्रकाश भारती**)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।